109

कार्यालय, फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग,
सवाई मानसिंह चिकित्सालय एवं महाविद्यालय जयपुर (राज.)

क्रमांक.एफएम/एसएमएस/2018/ दिनांक :

20200
10/7/18

सेवामें,

श्रीमान चिकित्सा अधीक्षक
सवाई मानसिंह चिकित्सालय,
जयपुर।

द्वारा आचार्य एवं विभागाध्यक्ष

विषय :- राजस्थान संपर्क द्वारा प्राप्त शिकायत क्रमांक 07183613903692 के क्रम में तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

संदर्भ :- आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक/शिकायत/समाचि/2018/7798 दिनांक 03.07.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि :-

1. यह है कि उक्त रिपोर्ट क्रमांक एमएलसी नं. 155/ओ/एस/18 दिनांक 04.06.2018 श्रीमती इन्द्रा शर्मा की डा. एन.एल. डिसानिया एवं डा. अटल के द्वारा दिनांक 04.06.2018 को तैयार की गई थी। चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट के अनुसार कुल दो चोटे पाई गई थी। जो खबर छपी थी वह चोट नं. 2 के बारे में छपी थी। चोट नं. 2 दाये अगूठे के (Base of right thumb) के भाग पर Tenderness, Pain & Bruise था। यह चोट साधारण एवं कुन्द प्रकृति की लिखकर रिपोर्ट जारी कर दी गई थी। चोट नं. 1 भी साधारण एवं कुन्द प्रकृति की थी। कुल दो चोटे थी। चोट नं. 3 में केवल दर्द होना अंकित किया गया था।
2. यह है कि श्रीमती इन्द्रा एवं संबंधित पुलिस के साथ अधोहस्ताक्षरकताओं के पास सैटेलाईट अस्पताल के ईलाज के कागज जिसमें दाये हाथ Scaphoid bone में फ्रेक्चर अंकित किया गया था, लेकर उपस्थित हुये एवं कहा गया कि हमारे फ्रेक्चर है। आपने फ्रेक्चर अंकित नहीं किया, अतः आप हमारा पुनः एक्सरे करवाओं। उपरोक्तानुसार लिखित में दिनांक 05.06.2018 को मजरूबा के पुत्र द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं पुलिस के द्वारा दिनांक 06.06.2018 के द्वारा प्रार्थना पत्र एक्सरे करवाने के लिए दिया गया था। उक्त दोनो प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के पश्चात एक्सरे फार्म दिनांक 06.06.2018 को संबंधित पुलिसकर्मी को सूपुर्द कर दिये थे। दिनांक 07.06.2018 को मजरूबा का रेडियोलॉजी विभाग के द्वारा एक्सरे किया गया था। दिनांक 7.06.2018 को मजरूबा का रेडियोलॉजी विभाग के द्वारा एक्सरे किया गया एवं रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा रिपोर्ट लिखकर दिनांक 19.06.2018 को इस विभाग में भेजी गई थी। इस विभाग में यह एक्सरे रिपोर्ट 19.06.2018 को प्राप्त हुई थी। जिसमें 4th Metacarpal fracture दर्शाया गया था, Scaphoid bone का कोई फ्रेक्चर नहीं पाया गया।
3. यह है कि Clinical Findings, सैटेलाईट हॉस्पिटल सेठी कॉलोनी एवं रेडियोलॉजी विभाग समाचि जयपुर के द्वारा जारी कि गई रिपोर्टो में विरोधाभास होने के कारण हमारे द्वारा रेडियोलॉजी विभाग में उक्त एक्सरे रिपोर्ट को रिव्यु करने बाबत लिखकर दिनांक 22.06.2018 को भेज दी गई थी।
4. यह है कि उक्त रिव्यु रिपोर्ट इस विभाग में दिनांक 22.06.2018 को रेडियोलॉजी विभाग से प्राप्त हुई थी। जिसमें रेडियोलॉजी विभाग के डा. अनन्य गोस्वामी के द्वारा पुनः एक्सरे करवाने की सलाह दी गई थी। उनके द्वारा अंकित किया गया था कि "Please do ulna deviated view for Scaphoid bone".
5. यह है कि रेडियोलॉजीस्ट की उक्त सलाह के अनुसार पुनः एक्सरे करवाने के लिए उक्त एक्सरे फार्म दिनांक 22.06.2018 को नर्सिंग इंचार्ज श्री आलोक शर्मा के द्वारा माणकचौक थाने में डाक द्वारा पुनः एक्सरे करवाने के लिए प्रेषित कर दिया गया था। हमारा पत्र व्यवहार संबंधित थाने को डाक द्वारा ही किया जाता है।
6. यह है कि दिनांक 26.06.2018 को सामाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर "दो सरकारी अस्पतालों में फंसी मरीज, दोनो की मेडिकल रिपोर्ट अलग - एसएमएस ने ज्यूरिस्ट रिपोर्ट में नॉर्मल लिखा, सेटेलाईट ने लिखा फ्रेक्चर है" आने पर तुरंत माणक चौक थाना प्रभारी जांच अधिकारी एवं पुलिस से संबंधित उच्च अधिकारियों से संपर्क कर पुनः एक्सरे करवाने के लिए मजरूबा को भेजने हेतू अनुरोध किया गया।
7. यह है कि दिनांक 26.06.2018 को ही मजरूबा पुलिस जांच अधिकारी के साथ इस चिकित्सालय में उपस्थित होने पर उसी दिन पुनः एक्सरे करवाकर रेडियोलॉजिस्ट से राय प्राप्त कर उसी दिन रिपोर्ट संबंधित पुलिस जांच अधिकारी को सूपुर्द कर दी गई थी। रेडियोलोजी विभाग के डा. अनन्य गोस्वामी द्वारा Scaphoid bone में फ्रेक्चर होना

G. Cell.
G.S
D.No. 704/F.M/18
10.7.18
Forwarded to M.S. for n/a
10/07/2018

8. यह है कि हमारी एम.एल.सी. रिपोर्ट एवं Clinical Findings के आधार पर हमें सैटेलाईट चिकित्सालय के द्वारा एक्सरे रिपोर्ट में जो हड्डी का फ्रेक्चर दिखाया गया था वह फ्रेक्चर होना प्रतीत नहीं हो रहा था। चूंकि रेडियोलॉजी विभाग द्वारा जो एक्सरे रिपोर्ट दी गई थी उसमें 4th Metacarpal bone में फ्रेक्चर होना बताया गया था, इसलिए एक्सरे रिपोर्ट के आधार पर हमारे द्वारा उक्त चोट को पत्र कमांक एसएमएस/एफएफ/2018/1473 दिनांक 26.06.2018 द्वारा गंभीर प्रकृति की अंकित कर जारी कर दी गई थी।
9. यह है कि अधीक्षक समाचि के कार्यालय पत्र कमांक 1558/सामन्य शाखा/समाचि/2018 दिनांक 28.6.18 के आधार पर एवं रेडियोलोजी विभाग के पत्र कमांक एमसी/आरडी/18/1294 दिनांक 28.6.18 के द्वारा **तीन वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञो** डा. उषा जयपाल आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, डा. कुलदीप मेहन्दीरत्ता आचार्य एवं डा. सी.पी. स्वर्णकार आचार्य के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जिसमें दाये हाथ में कोई फ्रेक्चर नहीं पाया गया।
10. यह है कि चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट में अंकित चोट सं. 02 में **तीन वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञो** की कमेटी की रिपोर्ट (कमांक एमसी/आरडी/18/1294 दिनांक 28.6.18) के अनुसार कोई फ्रेक्चर नहीं पाया गया। उक्त जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर यह चोट साधारण प्रकृति की है। हमारे द्वारा पूर्व में दिनांक 26.6.18 को पत्र कमांक एसएमएस/एफएम/2018/1473 के द्वारा, रेडियोलोजी की रिपोर्ट के आधार पर चोट सं. 2 गंभीर प्रकृति की दी गई थी। अत: अन्तिम राय के रूप मे (इस कार्यालय के पत्र कमांक 1523 दिनांक 03.07.2018 द्वारा) चोट सं. 2, एमएलआर नं. 155/ओ/एस/18 दिनांक 4.6.18 को साधारण प्रकृति की दी गई थी।
11. यह है कि इस प्रकरण में इस विभाग एवं हमारे द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गई है एवं **दिनांक 26.06.2018 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकासित खबर ''एसएमएस ने ज्यूरिस्ट रिपोर्ट में नॉर्मल लिखा, सेंटेलाइट ने लिखा फ्रेक्चर है'' सत्य से परे है।** सर्वप्रथम जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें कोई भी फ्रैक्चर हमें प्रतीत नहीं हो रहा था। इसलिए हमारे द्वारा एक्सरे नहीं करवाये गये थे एवं सभी चोटें साधारण प्रकृति की अंकित की थी। जांच कमेटी के द्वारा भी साबित हो चुका है कि कोई फ्रेक्चर नहीं था। सेटेलाईट अस्पताल द्वारा जारी रिपोर्ट कमेटी के द्वारा गलत साबित कर दी गई है। हमारे विभाग द्वारा फ्रेक्चर के बारे में जो भी राय दी जाती है वह रेडियोलोजी विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर दी जाती है। इसमें रेडियोलोजी विभाग द्वारा एक बार फ्रेक्चर बताना एवं जांच कमेटी द्वारा फ्रेक्चर नहीं बताना यह भी रेडियोलोजी विभाग से ही संबंधित है। अत: रेडियोलोजी विभाग समाचि, जयपुर एवं सेटेलाईट चिकित्सालय, सेठी कॉलोजी जयपुर के जिस चिकित्सक के द्वारा फ्रेक्चर की रिपोर्ट जारी की गई है, उनसे इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट लेना उचित रहेगा। तीन चिकित्सकों की जांच कमेटी के अनुसार किसी भी हड्डी में फ्रेक्चर नहीं पाया गया, इसलिए हमारी सर्वप्रथम जारी रिपोर्ट सही है।

निष्कर्ष :- **हमारे दोनो चिकित्सक फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग (मेडिकल ज्यूरिष्ठ) के द्वारा सर्वप्रथम जो रिपोर्ट जारी की गई थी वह कमेटी के द्वारा सही साबित हुई है।** सेटेलाईट चिकित्सालय के जिस चिकित्सक द्वारा फ्रेक्चर लिखा गया है, वह गलत साबित हुआ है। रेडियोलोजी विभाग समाचि, जयपुर के द्वारा जो दो बार रिपोर्ट जारी की गई है, उसी के आधार पर फ्रेक्चर के बारे में मेडिकल ज्यूरिष्ठ द्वारा राय दी गई है। हमारी रिपोर्ट सत्य है। यह कमेटी के द्वारा साबित हो चुकी है। अत: सेटेलाईट चिकित्सालय के द्वारा फ्रेक्चर अंकित किये जाने के कारण यह विरोधाभाष उत्पन्न हुआ है। अत: सेटेलाईट चिकित्सालय के चिकित्सक जिसके उपचार के दस्तावेजों की फोटोप्रतिलिपि संलग्न है से स्पष्टीकरण एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट लेना उचित रहेगा। रेडियोलोजी विभाग समाचि, जयपुर के द्वारा भी विरोधाभासी एक्सरे रिपोर्ट जारी की गई है। इसलिए तथ्यात्मक रिपोर्ट रेडियोलॉजी विभाग से भी लेना उचित रहेगा।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

डा. एन.एल. डिसानिया
सह आचार्य
फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग।

डा. अटल भास्कर
रेजिडेन्ट (प्रथम वर्ष)
फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग।

(7) Grivence cell